उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या- 20 /2023/एस-2-।/296453 /दस-2023-170/2021

लखनऊ :: दिनॉक:: 31 मार्च, 2023

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' के अधिकारी डा0 अमर सिंह, वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके अपने कार्य के साथ-साथ अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3- उक्त आदेश दिनॉक 01.04.2023 से प्रभावी होगा।

संजीव सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 20 /2023/एस-2-।/296453 (1)/दस-2023,तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- संबंधित अधिकारी।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अजय प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।